



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CERTIFICATE

73AC 552915

09

In this pursuance of the order of the collector No. 10 dated 06-04-2015
passed under Section 10-A of Stamp Act it is certified that an amount of
18527 Rs. 35,44,000/- (Rupees Thirty Five Lakh Forty Four Thousands Only)
has been paid by **ANS Developers Private Limited** in Cash as Stamp duty
in respect of this instrument in State Bank of India, Lucknow by Challan
No. - G120038, Dated - 02/05/2015, A copy of which annexed here with.

Dated: 06-05-2015

Chief Treasury Officer

Lucknow

06/05/2015

मुख्य कोषाधिकारी
आदर्श कोषानार
कलेकट्रेट, लखनऊ

४

LLB



क्रमांक ... U68 दिनांक ... 2-5-15
प्रयोग करने वाली सौम्या
नाम ... 23-ए प्रेसिडिंग गार्ड
पदा

संस्कृत विद्यालय
लाइब्रेरी नं 6 वे दा 11/1/2020
कलेजट्रॉड कोटे, रुद्रानग



वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2
प्रपत्र : संख्या - 43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)
धनराशि जमा करने का चालान फार्म

DEPOSITOR'S COPY

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा : State Bank of India, Govt. Business Branch, Lucknow

- 1- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या **ANS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED**
(संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है)
- 2- पता :- 308, 3RD FLOOR, TULSIANI CHAMBERS, NARIMAN POINT, MUMBAI.
3. पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद.....
4. जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण :- For General Stamp Papers
(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा
किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)
5. चालान की सकल राशि रु0 **35,44,000/-**
6. चालान की निबल राशि रु0 **35,44,000/-**
7. लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण / लेखा
शीर्षक की मुहर
8. लेखा— शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा— शीर्षक उप मुख्य— शीर्षक लघु—शीर्षक —उप—शीर्षक व्यौरेवार—शीर्षक धनराशि (अंको में)

0	0	3	0	0	2	1	0	2	0	2	0	4	35,44,000/-

योग **35,44,000/-**

धनराशि (शब्दो में) Rupees Thirty Five Lakh Forty Four Thousand Only

Chandra Bhan
जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

केवल उपकोषागार / बैंक के प्रयोगार्थ
चालान संख्या 30

अंको में रु0
शब्दो में रु0

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/
बैंक की मुहर सहित

विवरण

: रोकड़ (विवरण सहित)
नोट/सिक्के

(धनराशि रूपयों में)

1000 x

500 x

100 x

50 x

20 x

10 x

5 x

2 x

1 x

चेक (पूर्ण विवरण के साथ)

Bank - Syndicate Bank
 Branch - M. C. B., Lucknow
 Cheque No. - 468759
 Amount - Rs. 35,44.000/-

योग : Rs. 35,44,000/-

टिप्पणी :-

- जिन विभागों में अधिक संख्या में चालान द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापार कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक संवा आयोग आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक लेखा खण्ड-2 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित करना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लोक लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूँजी लेखों की प्राप्तियाँ) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
- जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखाशीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।
- यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे को कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड़ दिया जायेगा एवं 50 पैसे और उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायेगी।

पी०एस०य०पी०—ए०पी० 3 कोषागार—10.2.2003(2238)—2003—3,00,000—(कम्प्यूटर/आफसेट)।

35-44,000/-
 Thirty five thousand four hundred only
 G/12038
 02/01/15
 Ans developed port. Ltd.
 A. L. Raja

भानु 1

| पम्पुत्राकर्ता अथवा ग्राथी द्वारा एका जोरे वाला |

सप्त निवन्धक (द्वितीय)

का. मो 18527

लक्षण

वाय वा वायना परं पम्पुत्र कर्ता का दिनांक 24-Jun-2015

पम्पुत्रका वा वायना का नाम मेरारी ए.एग.एस.डेवलपर्स प्रा.लि.द्वा.अधि.हस्ता.अग्र
ना का शक्ति पट्टा विलेख

पम्पुत्र का बगाड़ि 88,107,200 / 0.00

1. गृहनिवास शुल्क 10,000.0

2. वर्तमानपक्षण शुल्क 40

3. निवासी वा निवास शुल्क

4. भूजमानासा के अधिपाली करण के लिए शुल्क

5. बिना शुल्क

6. विवाह



7. दूरवासा शुल्क

पम्पुत्र का शुल्क 10,040.0

पम्पुत्र कर्ता का दिनांक 24-Jun-2015

दिनांक अव नेत्र परिचिनिय या नवाच प्रमाण पत्र

वायन कर्ता के लिए तयार किया 24-Jun-2015



नजराना — रु० 8,81,07,200/-
वार्षिक किराया — रु० 81,473/-
स्टाम्प — रु० 35,44,000/-
परगना — लखनऊ

पट्टा—विलेख

यह पट्टा सन् 2015 के जून माह के 24 वें दिन, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश (जिनको यहां आगे चलकर “पट्टादाता” कहा गया है) प्रथम पक्ष।

तथा

मेसर्स ए०एन०एस० डेवलपर्स प्रा० लि०, जो कम्पनी एकट, 1956 के अधीन एक पंजीकृत कम्पनी है, एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय : 308 तुलसियानी चैम्बर्स नरीमन प्लाइण्ट मुम्बई-400021 जरिये अधिकृत हस्ताक्षरी—श्री अनवर रिजवीं पुत्र ए० ए० रिजवीं (जिनको यहां आगे चलकर “पट्टेदार” कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य लिखा गया है।

2— चूंकि पट्टेदार एक आवास निर्माण कम्पनी है जिसका उद्देश्य धर्म, जाति, वर्ग, भाषा, सम्प्रदाय आदि का भेद-भाव किये बिना सभी के लिये आवास

Shri Raghav Pal

• • • • • • • • • • • • • • •




निर्माण कर विक्रय किये जाने का है, जिसके निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था करना है।

और चूंकि इण्टीग्रेटेड टाउनशिप नीति विषयक शासनादेश संख्या—2711/आ—1—05—34 विविध/03, दिनांक 21/05/2005 द्वारा प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भूमि अर्जन एवं विकास हेतु नीति (जिसे एतदपश्चात् उक्त नीति कहा गया है) निर्गत की गयी है।

और चूंकि पट्टादाता ने पट्टेदार के अनुरोध पर उक्त नीति के अनुसरण में इस विलेख की अनुसूची में वर्णित ग्राम—बाघामऊ, परगना, तहसील व जिला—लखनऊ में स्थित 10.638 (दस दशमलव छ: सौ अड़तीस) हेक्टेयर ग्राम—समाज की भूमि को, राजस्व अनुभाग—1 की अधिसूचना संख्या—1201/एक—1—2013—5(52)/2013, लखनऊ, दिनांक 11, अक्टूबर, 2013 के अधीन उक्त भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—1, सन् 1951) की धारा—117 की उपधारा (6) के अन्तर्गत, पुर्णग्रहीत कर लिया गया है और जो सभी प्रकार के भारों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित हो गयी है।

अतः शासनादेश संख्या—474/एक—1—2018—5—1(48)/2008—78, दिनांक 19.12.2008 द्वारा पट्टेदार के नाम के आगे अभिव्यक्त अधिकारों, निर्बन्धनों एवं विभिन्न प्रसंविदाओं तथा अनुबन्धों के अधीन उक्त नीति के अनुसार टाउनशिप के विकास के प्रयोजन (जिसे एतदपश्चात् “निर्धारित प्रयोजन” कहा गया है) से पट्टेदार को हस्तान्तरित करने के लिये पट्टादाता सहमत हुये हैं।


- 3— अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय—समय पर यथासंशोधित गवर्नमेंट ग्रान्ट्स एकट, 1895 (सन् 1895 ई0 का एकट संख्या—15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि नजराना रु0 8,81,07,200.00/- (रुपया आठ करोड़ इक्कयासी लाख सात हजार दो सौ) मात्र व मालगुजारी का 150 गुना रु0 81,473.00/-




(रूपया इक्कयासी हजार चार सौ तिहत्तर मात्र) अर्थात कुल रूपये 8,81,88,673.00 (रूपया आठ करोड़ इक्कयासी लाख अटठासी हजार छः सौ तिहत्तर मात्र) की धनराशि जो भारतीय स्टेट बैंक लखनऊ की मुख्य शाखा में क्रमशः चालान सं0 जी 70013 तथा जी 040066, दिनांक 22.07.14 व 01.10.2014 के माध्यम से विकासकर्ता/पट्टेदार द्वारा जमा कर दिया गया है, मात्र के प्रीभियम (जिसकी प्राप्ति पट्टादाता एतदद्वारा स्वीकार करता है) तथा आगे आरक्षित वार्षिक किराया रु0 81,473/- (रूपया इक्कयासी हजार चार सौ तिहत्तर) मात्र के प्रतिफल स्वरूप और पट्टेदार द्वारा की गयी प्रसंविदाओं को ध्यान में रखकर पट्टादाता एतदद्वारा वह सब भूखण्ड, जिनका विवरण इसकी अनुसूची में दिया है और जो स्पष्टीकरण के लिए इस विलेख से संलग्न रेखाचित्र में लाल रंग से रंग दिया गया है (जिसे आगे उक्त “भूमि” कहा जायेगा), पट्टेदार को सन् 2015 ई0 के जून माह के 24...वें दिन से 30 (तीस) वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर निम्न शर्तों पर हस्तांतरित करते हैं। इस आधिपत्य के उपलक्ष्य में उक्त अवधि के लिये पट्टेदार समस्त कटौतियों को छोड़कर रु0 81,473/- (रूपया इक्कयासी हजार चार सौ तिहत्तर) मात्र का वार्षिक किराया प्रत्येक वर्ष के अंग्रेजी माह जून के पहले सप्ताह में कलेक्टर—लखनऊ के कार्यालय में या पट्टादाता द्वारा समय—समय पर नियत स्थान पर या स्थानों पर भुगतान करेगा।

और पट्टादाता से पट्टेदार निम्न प्रसंविदा करता है :-

1. यह कि पट्टेदार द्वारा प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल निर्धारित प्रयोजन के लिए ही किया जायेगा, जिसके लिए भूमि दी जा रही है।
2. यह कि पट्टेदार द्वारा निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग किये जाने पर भूमि का पट्टा शासन/प्राधिकरण द्वारा निरस्त कर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने का अधिकार पट्टादाता को होगा।




3. यह कि पट्टेदार को प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता न होने पर वह उसे शासन/प्राधिकरण को वापस कर देगा।
4. यह कि पट्टेदार द्वारा उक्त भूमि का उपयोग निर्धारित प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उक्त भूमि का कब्जा ले लिये जाने अथवा पट्टेदार को भूमि की आवश्यकता न होने पर उसे राज्य सरकार को समर्पित किये जाने की स्थिति में पट्टेदार को उक्त भूमि पर निर्भित किसी भवन अथवा अन्य निर्माण की क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा।
5. यह कि पट्टेदार को पट्टे की भूमि बिना कब्जे के राष्ट्रीयकृत बैंक, भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने हेतु उनके पक्ष में बन्धक रखने का अधिकार होगा। शर्त यह होगी कि पट्टेदार द्वारा शासन को बाजार दर पर पट्टे की भूमि का मूल्य अदा कर दिया गया है।
6. यह कि उक्त भूमि का उपयोग 03 (तीन) वर्ष में निर्धारित प्रयोजन हेतु न किये जाने की स्थिति में पट्टादाता द्वारा पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देकर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा।
7. प्रश्नगत भूमि 30 (तीस) वर्षों के लिए पट्टे पर दी जायेगी। पट्टेदार द्वारा पट्टे की शर्त का पालन किये जाने की दशा में पट्टेदार के अनुरोध पर प्रत्येक 30 वर्ष के बाद 30–30 वर्ष के पट्टे का नवीनीकरण पंजीकृत विलेख द्वारा किया जा सकेगा, लेकिन पट्टे की समेकित अवधि 90 वर्ष से ज्यादा नहीं होगी।
8. यह कि पट्टेदार ने वार्षिक किराया ₹0 81,473/- (रूपया इक्कायासी हजार चार सौ तिहत्तर) मात्र की दर से ₹0 81,473/- की धनराशि पट्टा विलेख के निष्पादन के पूर्व अर्थात् दिनांक 22.07.14 व 01.10.2014 को चालान संख्या जी 70013 एवं जी 040066 द्वारा भारतीय स्टेट बैंक, राजकीय व्यावसायिक शाखा, लखनऊ में जमा कर दिया है और पट्टेदार



पट्टा के दौरान प्रतिवर्ष माह जून के प्रथम सप्ताह में या पहले वार्षिक किराया जमा करता रहेगा।


9. यह कि पट्टेदार उक्त वार्षिक किराया अग्रिम के रूप में प्रतिवर्ष जमा करेगा।
10. यह कि पट्टेदार द्वारा वार्षिक किराया समय से न जमा करने अथवा उपरिवर्णित शर्तों में किसी को भंग किये जाने की स्थिति में पट्टादाता द्वारा पट्टेदार को सुनवाई का अवसर देकर पट्टा निरस्त कर दिया जायेगा और उक्त भूमि का कब्जा राज्य सरकार/प्राधिकरण द्वारा ले लिया जायेगा तथा पट्टेदार द्वारा किसी प्रतिकर की मांग नहीं की जायेगी।
11. यह कि पट्टेदार ऐसी प्रत्येक प्रकार की दरों, करों, परिव्ययों तथा निर्धारणों का भुगतान करेगा जो उक्त भूमि या उस पर निर्मित या निर्माण किये जाने वाले भवन अथवा उसके स्वामी या किरायेदार पर उस समय अथवा उसके पश्चात किसी समय अवधारित, भारित, आरोपित किये जायें।
12. यह कि पट्टादाता की पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किये बिना उक्त भूमि पर खड़े वृक्ष/वृक्षों को पट्टेदार द्वारा काटा नहीं जायेगा और न दूसरे को काटने दिया जायेगा।
13. यह कि उक्त भूमि विधि के प्रवर्तनवश या किसी अन्य कारण से यहाँ दी गयी अवधि में हस्तांतरित हो, पट्टेदार उक्त हस्तांतरण के दिनांक से एक पंचांग मास के भीतर उक्त हस्तांतरण की सूचना जिलाधिकारी, लखनऊ को देगा, जिसमें ऐसे प्रत्येक अभिहस्तांकन के पक्षों के नाम और पूरे ब्यौरे होंगे तथा उसका पूरा विवरण और उससे प्रभावित होने वाली सम्पत्ति का विवरण होंगा और साथ में प्रत्येक अभिहस्तांकन पत्र, डिक्टी या आदेश, प्रमाण-पत्र या अन्य लेख जिसका प्रभाव उस हस्तांतरण पर पड़ता हो, देगा और उस सूचना के साथ उक्त लेख्य जिलाधिकारी, लखनऊ के कार्यालय में कम से कम 07(सात) दिन रहेंगे तथा एतदद्वारा यह प्रसंविदा की जाती है कि इस शर्त का पालन न किये जाने पर पट्टेदार पर दण्डरचरूप रूपये, जैसा कि तत्कालीन समय पर सक्षम



अधिकारी/पट्टादाता की ओर से नियत किया जावे मात्र का भुगतान करने का दायित्व होगा।

14. यह कि इस विलेख की अवधि समाप्त होने अथवा उसके पहले ही समाप्त कर दिये जाने पर पट्टेदार उक्त भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि को पट्टादाता को बिलकुल सही अवस्था में दे देगा।
15. पट्टा निष्पादन का व्यय भार संस्था/पट्टेदार द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। पट्टा निष्पादन के पश्चात भूमि का कब्जा संस्था को प्रदान किया जायेगा।
16. प्रश्नगत भूमि के हस्तांतरण एवं निष्पादित होने वाले पट्टा विलेख की शर्तों के संबंध में यदि कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होगा तो उस पर प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
17. उक्त भूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार होगा।

किन्तु सदा प्रतिबन्ध है कि यह विलेख इस शर्त पर निष्पादित किया जाता है कि अगर और जब कभी उपर्युक्त किराये अथवा किसी निश्चित भाग को निश्चित तिथि के पश्चात एक माह तक भुगतान न होगा, चाहे वह विधितः मांगा गया हो या न मांगा गया हो अथवा यदि पट्टे में वर्णित प्रसंविदाओं में से किसी एक को अथवा अधिक को पट्टेदार भंग करेगा अथवा उसका पालन न करेगा तब और ऐसी किसी दशा में पट्टादाता ने भले ही अपने पुनः प्रवेश करने के अधिकार को छोड़ दिया हो, उक्त भूमि में पुनः प्रवेश कर सकता है और पट्टेदार तथा उसके समस्त अध्यासियों को वहाँ से निकाल सकता है और तब यह हस्तान्तरण बिलकुल निरस्त हो जायेगा तथा उक्त भूमि पर निर्मित भवनों को हटाने अथवा उसके संबंध में प्रतिकर पाने के पट्टेदार के समस्त अधिकार अपहृत हो जायेंगे।



यह भी प्रतिबन्ध है कि ऊपर जो कुछ अंकित है उसके अतिरिक्त पट्टादाता को यह अधिकार होगा कि वह उस विलेख के अधीन देय समस्त धनराशि प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के प्रमाण—पत्र पर जो अन्तिम, निश्चायक और पट्टेदार पर बाध्यकारी होगा, पट्टेदार से भू—राजस्व के बकाये के रूप में वसूल कर लें।


यह भी प्रतिबन्ध होगा कि यदि हस्तांतरित उक्त भूमि की पट्टादाता को किसी भी समय अपने कार्य के लिए आवश्यकता होगी तो उसको यह अधिकार होगा कि वह पट्टेदार को उक्त भूमि पर उस समय खड़े किसी भवन को हटाने की एक माह की नोटिस दे और यह भी कि उक्त नोटिस के पट्टेदार द्वारा प्राप्त होने की तिथि के पश्चात उक्त अवधि के समाप्त होने पर दो माह के भीतर उक्त भूमि पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर ले, किन्तु शर्त यह है कि यदि पट्टादाता उक्त भूमि पर पट्टेदार द्वारा बनाये गये किसी भवन को क्रय करना चाहे तो पट्टेदार को उस भवन के बदले में ऐसी धनराशि का भुगतान कर दिया जायेगा, जो राज्य सरकार के आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा अवधारित की जाये।

और पट्टादाता पट्टेदार से यह प्रसंविदा करता है कि यदि पट्टेदार ने इस विलेख की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है तो पट्टादाता पट्टेदार की प्रार्थना पर और उसके व्यय से इस पट्टे की उक्त अवधि के समाप्त होने पर और उसके पश्चात समय—समय पर प्रत्येक ऐसी अवधि के समाप्त होने पर जो स्वीकार की जाये, पट्टेदार के नाम उक्त भूमि का नया पट्टा, नवीनीकरण के रूप में 30 (तीस) वर्षों की अवधि के लिये निष्पादित करेगा। परन्तु यह प्रतिबन्ध सदा ही रहेगा कि इस प्रकार नवीकृत अवधियां इस पट्टे की मूल अवधि सहित कुल मिलाकर 90 (नब्बे) वर्ष से अधिक न होगी और पट्टादाता कोई ऐसा नवीनीकरण स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा, सिवाय इसके कि वह ऐसी किराये की दर

मिलाकर 90 (नब्बे)

Alleged

THE LIBRARY OF CONGRESS
SERIALS SECTION




पर हो जो उक्त भूमि के संबंध में उस समय दिया जा रहा है अथवा यदि वह पसन्द करे तो ऐसी बढ़ाई हुई दर पर हो जो उस किराये के 50 प्रतिशत (पचास प्रतिशत) से अधिक न हो जो कि नवीनीकरण के ठीक पहले देय था और सिवाय उस किराये की धनराशि जो तदनुसार निर्धारित की जाये और उस अवधि के जो स्वीकार की जाये, उक्त भूमि के प्रत्येक नवीकृत पट्टे में इस विलेख की केवल उन्हीं प्रसंविदाओं, उपबन्धों एवं प्रतिबन्धों को समावेश होगा जो उस समय लागू होंगे।

किन्तु प्रतिबन्ध यह भी है कि पट्टेदार उपर्युक्त अवधि में ऐसे सब कर, दर तथा अन्य परिव्ययों का भुगतान करेगा जो हस्तांतरित उक्त भूमि के संबंध में पट्टादाता अथवा पट्टेदार द्वारा इस समय देय हैं अथवा भविश्य में देय होगा।

और इस विलेख के दोनों पक्ष अग्रेतर करार करते हैं कि : -

- (क) उक्त भूमि को पट्टे पर देने हेतु पट्टा विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन पर होने वाले व्यय का वहन पट्टेदार द्वारा किया जायेगा।
- (ख) उक्त भूमि के हस्तांतरण एवं निष्पादित होने वाले पट्टा विलेख की शर्तों के संबंध में यदि कोई मतभेद/विवाद उत्पन्न होगा तो उस पर प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- (ग) उक्त भूमि पर या उसके नीचे पाये गये खान एवं खनिजों पर पट्टादाता का अधिकार रहेगा।
- (घ) पट्टा निष्पादन के पश्चात भूमि का कब्जा पट्टेदार को प्रदान किया जायेगा।



4— भूमि का विवरण निम्नवत हैः—

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाठा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टर)	विवरण / प्रयोजन
लखनऊ	लखनऊ	लखनऊ	बाधामऊ			आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के उपयोगार्थ
				70	0.100	
				74	0.036	
				88	0.013	
				89	0.152	
				94	0.341	
				96	0.107	
				99	0.809	
				130 फी	0.052	
				142	0.405	
				145	0.114	
				160	0.029	
				165	0.021	
				170	0.021	
				177	0.035	
				178	0.093	
				181	0.107	
				183	0.089	
				229	0.169	
				246	0.026	
				249	0.022	
				250	0.052	
				260	0.095	
				271	0.062	
				308	0.177	
				328	0.052	
				334	0.048	
				345	0.044	
				540 फी	0.060	
				560 फी	0.065	
				632	0.250	
				633	0.044	

JL Singh



				644 पी	0.023	
				731	0.061	
				737	0.025	
				763	0.125	
				777	0.112	
				778	0.041	
				797 पी	0.060	
				67 पी	0.126	
				82	0.319	
				148	0.063	
				437	0.038	
				441 जी	0.152	
				678	0.089	
				90 ख	0.063	
				90 ग	0.013	
				132 घ	0.607	
				138 ग	0.310	
				140 द	0.711	
				140 ध	0.177	
				140 न	0.082	
				141 ग	0.101	
				143 ख	0.170	
				150 घ	0.670	
				150 ड	0.569	
				182	0.025	
				222 प, ख	0.043	
				234	0.152	
				235	0.025	
				242	0.145	
				243	0.063	
				255	0.025	
				256 ख	0.031	
				259	0.051	
				261	0.190	
				306	0.379	
				310	0.177	
				312	0.234	
				320	0.031	



				324 ख	0.069	
				325	0.101	
				360	0.025	
				366 ग	0.076	
				378	0.158	
				385	0.089	
				387 ख	0.013	
				423 ग	0.010	
				423 ख	0.006	
				569 ख	0.013	
				677	0.025	
				760	0.085	
				कुल 81 गाटा	10.638	

यह कि इस विलेख के माध्यम से पट्टे पर दी जा रही भूमि में से क्षेत्रफल 10.638 हेक्टेअर, अर्द्ध नगरीय क्षेत्र ग्राम बाघामऊ, परगना, तहसील व जिला लखनऊ अर्द्ध नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत है। चूंकि इस विलेख में नजराने की धनराशि रु0 8,81,07,200/- व एक वर्ष का लीज रेंट रु0 81,473/- सहित कुल धनराशि रु0 8,81,88,673/- अदा की गयी है। चूंकि प्रश्नगत विलेख के माध्यम से 30 वर्ष के पट्टे पर तथा पुनः उसी अवधि के दो नवीनीकरण कराये जाने के प्राविधान के साथ कुल मिलाकर अधिकतम 90 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर दिये जाने का प्राविधान किया गया है। प्रत्येक नवीनीकरण रजिस्टर्ड विलेख के माध्यम से कराया जाना होगा। अतः स्टाम्प शुल्क अदायगी प्रयोजन हेतु 6 वर्ष का औसत वार्षिक किराया रु0—4,88,838/- होता है, तथा नजराने की धनराशि 8,81,07,200/- दोनों मिलाकर रूपये—8,85,96,038/- होता है, जिस पर नियमानुसार रु0 35,44,000/- का स्टाम्प शुल्क अदा कर दिया गया है।

पट्टा विलेख	(30 वर्ष)			
88,107,200.00	10,000.00	40	10,040.00	2,000

पत्रिकल मालियत आमत वार्षिक किगया फाय गजिस्ट्री नकल व प्रति शुल्क योग शब्द लाभग
श्री मेरसर्स ए.एन.एस.डेवलपर्स प्रा.लि.द्वा.अधि.हस्ता.अनवर रिजवी

पुत्र श्री एम.ए.रिजवी

निवासी नौकरी

निवासी नौकरी 308 तुलसियानी चैम्बर्स नरीमन प्लाइट मुम्बई

अप्पाचांगी फाना

न यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 24/6/2015 समय 1:43PM

वज्र निवन्धन हेतु पेश किया।

LL Rizvi

LL Rizvi



गजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनेश चन्द्र यादव
उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

24/6/2015



पट्टा गृहीता

श्री मेरसर्स ए.एन.एस.डेवलपर्स
प्रा.लि.द्वा.अधि.हस्ता.अनवर रिजवी
पुत्र श्री एम.ए.रिजवी
पेशा नौकरी
निवासी 308 तुलसियानी चैम्बर्स नरीमन प्लाइट मुम्बई

निपाठन लेखपत्र वाट मुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनगति रु. प्रलेखानुमाण उक्त
पट्टा दाता

इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि इस लेखपत्र का निपाठन
श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वा.शीष चन्द्र वर्गी सचिव
ने अपने पद के अधिकार से किया है इसलिये उनकी उपस्थिति
और हरसाक्षरों की आवश्यकता नहीं है, और लेखपत्र
रजिस्ट्रीकरण के लिए स्वीकार किया गया।

न निपाठन स्वीकार किया।

गिनकी पहचान श्री शत्रोहन लाल एड.कॉर्ट,लखनऊ

पंडा नौकरी

निवासी

व श्री डा.जितेन्द्र कटियार तहसीलदार ल.वि.प्रा.लखनऊ
पुत्र श्री आर.एस.कटियार

पंडा नौकरी

निवासी 3/259, विनम्र खण्ड गोमती नगर, लखनऊ

न की।

पट्टाने वाले साक्षियों के निशान अंकूर नियमानुसार लिये गये हैं।

गजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनेश चन्द्र यादव
उप-निबन्धक (द्वितीय)
लखनऊ
24/6/2015



卷之三



૧૦

ପ୍ରକାଶକ

आद्यात्मिक

New Project Boundary
Proposed Bush Road

स्वीकृत	
१	अमरा उपाय
२	विजयी विजय
३	विजयी
४	विजयी
५	विजयी
६	विजयी
७	विजयी
८	विजयी
९	विजयी
१०	विजयी
११	विजयी
१२	विजयी
१३	विजयी
१४	विजयी
१५	विजयी
१६	विजयी
१७	विजयी
१८	विजयी
१९	विजयी
२०	विजयी
२१	विजयी
२२	विजयी
२३	विजयी
२४	विजयी
२५	विजयी
२६	विजयी
२७	विजयी
२८	विजयी
२९	विजयी
३०	विजयी
३१	विजयी
३२	विजयी
३३	विजयी
३४	विजयी
३५	विजयी
३६	विजयी
३७	विजयी
३८	विजयी
३९	विजयी
४०	विजयी
४१	विजयी
४२	विजयी
४३	विजयी
४४	विजयी
४५	विजयी
४६	विजयी
४७	विजयी
४८	विजयी
४९	विजयी
५०	विजयी
५१	विजयी
५२	विजयी
५३	विजयी
५४	विजयी
५५	विजयी
५६	विजयी
५७	विजयी
५८	विजयी
५९	विजयी
६०	विजयी
६१	विजयी
६२	विजयी
६३	विजयी
६४	विजयी
६५	विजयी
६६	विजयी
६७	विजयी
६८	विजयी
६९	विजयी
७०	विजयी
७१	विजयी
७२	विजयी
७३	विजयी
७४	विजयी
७५	विजयी
७६	विजयी
७७	विजयी
७८	विजयी
७९	विजयी
८०	विजयी
८१	विजयी
८२	विजयी
८३	विजयी
८४	विजयी
८५	विजयी
८६	विजयी
८७	विजयी
८८	विजयी
८९	विजयी
९०	विजयी
९१	विजयी
९२	विजयी
९३	विजयी
९४	विजयी
९५	विजयी
९६	विजयी
९७	विजयी
९८	विजयी
९९	विजयी
१००	विजयी

१५८ अनुवाद विषयक एवं उत्तराधिकारी के लिये अधिकारी का नाम दिया गया।

A vertical rectangular frame divided into 12 equal-sized squares arranged in three columns and four rows. The top two rows each contain two squares, while the bottom two rows each contain three squares. This grid is intended for drawing or writing practice.

पट्टा गृहीता

Registration No. : 9652

Year : 2,015


Book No. : 1

0201 मेसर्स ए.एन.एस.डेवलपर्स प्रा.लि.द्वा.अधि.हस्ता.अनवर रिजवी

एम.ए.रिजवी

308 तुलसियानी चैम्बर्स नरीमन प्लाइण्ट मुम्बई

नोकरी



इस पट्टा विलेख के साक्ष्य में पट्टादाता की ओर से एवं उनके द्वारा शासनादेश संख्या—1160/8-3-12-122एल0ए0/09, दिनांक 01, जून, 2012 के माध्यम से अधिकृत श्री श्रीशचन्द वर्मा, सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, तथा पट्टेदार की ओर से अधिकृत श्री अनवर रिजवी, निदेशक बहौसियत अधिकृत हस्ताक्षरी वारते मेसर्स ए०एन०एस० लि०, ने नीचे उन दिनों को हस्ताक्षर कर दिये हैं, जो उनके हस्ताक्षर के नीचे दी गयी हैं।

साक्षीगण :

1. ह०

नाम..... Shatrughan Saj
Advocate
पिता का नाम.....
पता..... Collectorate Court
..... Lucknow

(.....)
पट्टाकर्ता की ओर से एवं
उसके उसके द्वारा अधिकृत
अधिकारी

2. ह०

नाम.....
पिता का नाम..... Dr. Shohail Ali
पता..... Collectorate Court
..... Lucknow

(.....)
पट्टेदार की ओर से एवं
उसके उसके द्वारा अधिकृत

(राज्यपाल रिजवी)
निदेशक
के सम्मुख द्वारा दी गयी

आज दिनांक 24/06/2015 को

वर्गी सं. 1 जिल्ड सं. 16966

पृष्ठ सं. 379 से 408 पर क्रमांक 9652

गेज़स्ट्रीकृत किया गया।

गेज़स्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

दिनेश चन्द्र यादव

उप-निबन्धक (द्वितीय)

लखनऊ

24/6/2015

